introduced in Parliament for which the matter is already under active and urgent examination.

(c) Yes, Sir.

(d) The Resolution of the Press Council regarding amendment of Section 5 of Indian Telegraph Act has been dealt above under part (b) of the question. Regarding Section 29, the Law Commission has been requested to review the Indian Telegraphs Act as a whole, and necessary amendment to Section 29 of the Act will be included in this review.

Assistance for Drought-Affected Areas of Rajasthan

790. SHRI R. K. BIRLA :
SHRI BAL RAJ MADHOK :
SHRI P. L. BARUPAL :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Western Districts of Rajasthan-Jalore, Barmer, Jaisalmer, Jodhpur, Nagore and Bikaner have been faced with drought and uncertain rainfall for the last so many years ;

(b) if so, whether the Central Government in consultation with the State Government or on their own accord are proposing to formulate a priority oriented scheme to save these areas from chronic drought ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). Schems which would ensure the permanent development of chronically drought affected areas also provide employment in the rural Sector are being formulated. Details are being worked out.

उत्तर प्रदेश चीनी मिल्स श्रमिक संघ एकता समिति द्वारा दूसरे मजूरी बोर्ड के बारे में ज्ञापन

791. **श्री देवेन सेन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच. एम. एस., बी. एम. एस. तथा उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा संगठित उत्तर प्रदेश चीनी मिल्स श्रमिक संघ एकता समिति द्वारा केन्द्रीय श्रम मंत्री को 23 दिसम्बर, 1969 को दूसरे मजूरी बोर्ड आदि के बारे में दिये गये ज्ञापन में क्या मांगे की गई हैं ; और

(ख) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी. संजीवैया) : (क) ये मांगें चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण आवश्यकता के आधार पर मजूरी प्रतिधारण भत्ता, ग्रेच्युटी और बोनस के बारे में थी ।

(ख) मजूरी, प्रतिधारण भत्ते, और ग्रेच्युटी से सम्बन्धित मामलों पर द्वितीय चीनी बोर्ड ने विचार किया है । इस बोर्ड की रिपोर्ट सरकार को 18 फरवरी, 1970 को प्रस्तुत की गई और उसकी सिफारिशों पर अध्ययन किया जा रहा है ।

चौथी अन्तर्राष्ट्रीय चल-चित्र समारोह में प्रतिबन्धित चल-चित्रों का दिखाया जाना

792. **श्री देवेन सेन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष नई दिल्ली में हुए चौथे अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में जो चलचित्र दिखाए गये थे उन पर भारतीय चलचित्र सैंसर बोर्ड ने कई वर्ष पहले प्रतिबन्ध लगा दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त समारोह में जो चलचित्र दिखाये गये थे वे भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा अन्य आदर्शों के विपरीत थे ;